

वृत्त/मार्ट/जिला यूनियन स्तर एवं स्थानीय स्तर से आफलाइन नीलाम द्वारा सीधे विक्रय हेतु शर्तें

-0-

स्थानीय समूह या फर्म के स्वामित्व अथवा अधिकृत व्यक्ति द्वारा निम्नानुसार शर्तों के अधीन नीलाम में भाग लेने हेतु आवेदन भर कर प्रस्तुत कर सकते हैं-

1. बोली प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत स्थानीय व्यक्ति/फर्म/समूह आदि -

- 1.1 बोली प्रस्तुत करने के लिये स्थानीय समूह या फर्म के स्वामित्व अथवा अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही बोली प्रस्तुत की जावेगी। साथ ही बोलीदार द्वारा नियमानुसार सम्बन्धित फर्म का आवश्यक दस्तावेज संलग्न किया जावेगा।
- 1.2 स्थानीय व्यक्ति द्वारा भी बोली प्रस्तुत की जा सकती है। बोलीदार द्वारा नियमानुसार आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि दस्तावेज संलग्न किया जावेगा।

2. सत्यंकार की राशि -

- 2.1 बोलीदार द्वारा वनोपजो/उत्पादों की प्रत्येक लाट के आधार पर सत्यंकार की राशि रुपये 500/- सम्बन्धित वृत्त/जिला यूनियन में नगद जमा किया जाकर मनी रसीद प्राप्त किया जावेगा।
- 2.2 नीलाम के समापन उपरांत, उच्चतम बोलीदारों की सत्यंकार की राशि को नीलाम पर निर्णय लिये जाने तक अवरुद्ध रखी जावेगी। उच्चतम बोली को अस्वीकार करने की स्थिति में अवरोधित सत्यंकार की राशि मुक्त कर दी जावेगी।
- 2.3 सफल बोलीदार के द्वारा जमा की गई सत्यंकार की राशि रुपये 500/- प्रथमतः उसके द्वारा देय प्रतिभूति राशि के रूप में समायोजित की जावेगी। असफल बोलीदार की सत्यंकार की राशि नीलाम समापन के उपरान्त नगद वापस की जावेगी।
- 2.4 सत्यंकार की राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। अगले चक्र की नीलाम हेतु बोलीदार को सत्यंकार की राशि पुनः जमा करना होगी।
- 2.5 बोलीदार नीलाम के समापन तक एक या एक से अधिक वनोपज/उत्पादों के लाटों के लिये शर्त क्रमांक 2.1 अनुसार एक या एक से अधिक बार बोली प्रस्तुत कर सकेगा।

3. बोली को वापिस लिया जाना आदि -

बोली के Final Submission उपरांत कोई भी बोलीदार किसी लाट/लाटों के लिये अपनी बोली वापस नहीं ले सकेगा और वह अपने बोली तथा नीलाम सूचना के निबंधनों तथा शर्तों से तथा इन निबंधनों तथा शर्तों से तब तक बाध्य रहेगा जब तक वृत्त/जिला यूनियन के द्वारा उसके बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी पत्र जारी नहीं कर दिया जाता।

4. बोलियों को स्वीकार किया जाना -

- 4.1 वृत्त/मार्ट/जिला यूनियन बोली पत्रक में अंकित किसी भी लाट या समस्त लाटों के बोली/बोलियों को बिना कारण दशयि स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 4.2 विभिन्न बोलीदारों को लाटों का आवंटन करने के लिए वृत्त/मार्ट/जिला यूनियन विभिन्न लाटों या लाटों के वर्ग या विभिन्न क्षेत्रों के लाटों के लिए भिन्न-भिन्न कट आफ स्तर मूल्य निर्धारित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
- 4.3 बोलीदार ऐसे लाट/लाटों जिनके प्रस्ताव वृत्त/मार्ट/जिला यूनियन द्वारा स्वीकार किये जाते हैं, स्वीकार करने को बाध्य होगा।

5. **प्रतिभूति निक्षेप -**

सफल बोलीदार को उसके पक्ष में वृत्त/मार्त/जिला यूनियन के द्वारा स्वीकृत किये गये लाटों के कुल क्रय मूल्य की राशि निर्धारित अवधि में जमा करना होगी और इस प्रयोजन हेतु उसके द्वारा शर्त क्रमांक 2.1 अनुसार जमा की गई सत्यंकार की राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में वृत्त/जिला यूनियन के द्वारा समायोजित कर ली जावेगी और अवशेष राशि पूर्ण करो सहित वृत्त/जिला यूनियन के पत्र जारी की तिथी के 10 दिवस के भीतर बोलीदार के द्वारा जमा की जावेगी ।

6. **निश्चित दर की नियम व शर्तों का पालन -**

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा समय-समय पर निश्चित दर पर विक्रय हेतु नियम व शर्तें लागू की जाती, जो संघ की वेबसाईट www.cgmpfed.org से अपलोड की जा सकती है, जिसका पूर्ण रूप से पालन करते हुये सफल बोलीदार को स्वीकृत लाटों का परिदान दिया जावे।

7. **क्रेता नियुक्ति आदेश निम्नानुसार जारी किया जा सकता है -**

सफल बोलीदारो को क्रेता नियुक्ति आदेश जारी करने एवं परिदान की कार्यवाही सम्बन्धित वृत्त/जिला यूनियन द्वारा किया जावेगा ।

8. बोलीदार द्वारा प्रस्तुत बोली मान्य होने की स्थिति में यदि बोलीदार द्वारा वनोपज मात्रा को नहीं लिया जाता है, तो उक्त बोलीदार की जमा प्रतिभूति राशि को राजसात किया जाकर बोलीकार को काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।

9. उक्त प्रक्रिया में वनोपज के विक्रय तथा किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय का पूर्ण अधिकार सम्बन्धित मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन् मुख्य महाप्रबंधक वन वृत्त छत्तीसगढ़ की होगी ।



कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित
“वन धन भवन”, सेक्टर 24, नवा रायपुर अटल नगर (छत्तीसगढ़)
(लघु वनोपज का वृत्त/जिला यूनियन स्तर एवं स्थानीय स्तर से नीलाम द्वारा सीधे क्रय हेतु आवेदन फार्म)

भारत सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनांतर्गत वर्ष 2020, 2020-21, 2021, 2021-22 एवं 2022 में गोदामीकृत एवं प्रसंस्कृत वनोपजो/उत्पादों के वृत्त/मार्ट/जिला यूनियन स्तर एवं स्थानीय स्तर से नीलाम द्वारा सीधे क्रय हेतु आवेदन पत्र

(अधिसूचना क्रमांक न्यू.स.मू./नीलाम/(2023)-III, दिनांक 13.04.2023)

1. मैं/हम/मेसर्स (नाम) आत्मज/प्रोपराईटर/डायरेक्टर (नाम) ग्राम पुलिस थाना जिला राज्य एतद् द्वारा नीलाम पर निम्न वनोपज को क्रय करने के लिए करार करता/करती/करते हूँ।
2. मैं आपके विज्ञापन के संदर्भ में निम्नानुसार लघु वनोपज वृत्त/जिला यूनियन स्तर एवं स्थानीय स्तर से नीलाम द्वारा सीधे क्रय करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ।

क्र.	जिला यूनियन का नाम	वनोपज/उत्पाद का नाम	संग्रहण वर्ष	लॉट का विवरण		ऑफर दर प्रति क्विंटल (रूपये में)			करोँ सहित क्रय मूल्य (कॉ.न.6x9)
				लॉट क्रमांक	मात्रा (क्विंटल में)	ऑफर दर	कर आदि	कुल (कॉ.न. 7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- “ऑफर दर रूपये प्रति क्विंटल जिसमें वस्तु एवं सेवा कर तथा अन्य कर, उपकर शामिल नहीं है।
3. 3.1 सफल बोलीदार द्वारा नीलाम में भाग लेने हेतु जमा प्रतिभूति निक्षेप राशि मनी रसीद क्रमांक, दिनांक
 - 3.2 क्रय मूल्य की पूर्ण राशि : रूपये (शब्दों में) (आवेदक पूर्ण क्रय मूल्य की राशि प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर के खाता क्रमांक016101018105(ICIC0000161) में आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी./ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन देने के दिनांक के पूर्व तक अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।)
(राशि जमा का प्रमाण स्वहस्ताक्षरित स्कैन कर संलग्न करें)
 4. वस्तु एवं सेवा कर (GSTIN) पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक राज्य/भारत सरकार क्रमांक दिनांक (स्वहस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर संलग्न करें)
 5. आयकर विभाग द्वारा जारी (PAN) प्रमाण पत्र क्रमांक (स्वहस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर संलग्न करें)
उपरोक्त प्रस्तावित दर पर लघु वनोपज/उत्पाद क्रय हेतु संघ द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों से मैं सहमत हूँ।

स्थान

बोलीदार का हस्ताक्षर एवं पूर्ण पता

दिनांक

.....

.....

दूरभाष/मोबाइल क्रमांक.....

ई-मेल आईडी